

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द
2025

प्रपत्र-8
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प पटमवा

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पटमवा
ब भू.अ.नि. पटमवा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार — / नायाब
तहसीलदार गिम्बुड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान यू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सौनियाणा तहसील बेलमगार ज
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 84 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	सौनियाणा	84	जीतमल जाति-बौला पुत्र रुपल	जीतमल जाति-रैगर पुत्र रुपलाल

रैलमगार
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, —

क्रमांक- 346
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 11/10/25

1. तहसीलदार बेलमगार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री जीतमल पुत्र रुपलाल रैगर को सूचनाथ।
3. रचित पत्रादली।

रैलमगार
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, —